

## डिक्री व मुकदमें इब्बदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जा०दी०)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- मीनू वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:- 82/2019

जसमीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ।

:- वादी:-

:- बनाम:-

सुखदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ।

:-प्रतिवादी:-

आज यह वाद मुझ मीनू वर्मा आर०ए०एस सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी के समक्ष श्री संजय शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की हाजिरी में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी को चक न० 6 एसआरडबल्यू जमाबंदी सम्वत 2073 से 76 खाता स० 112/13 के प०न० 200/274 मु०न० 20 के कि०न० 25/0.2530 प०न० 200/275 मु०न० 35 कि०न० 4/0.2530, 5/2/0.0640 कुल 0.5700 हे० नाली प्रथम मय गैर मुमकीन भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक श्रण की स्थिती में रहन मुक्त होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बावत.....  
.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालानां आज की तारीख वसुलयावी तक.....अदा करे।

डिक्री आज दिनांक ११-१०-१९ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(मीनू वर्मा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी  
एवं टिब्बी जिला  
टिब्बी